न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/499

1. रामरेश आत्मज किशना जाति मीना निवासी ग्राम समीधी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. उम्मेद आत्मज किशना जाति मीना निवासी ग्राम समीधी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. कीमत उर्फ मनराज आत्मज किशना जाति मीना निवासी ग्राम समीधी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. कैलाशी बेवा किशना जाति मीना निवासी ग्राम समीधी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. प्रभूलाल आत्मज बजरंगा जाति मीना निवासी ग्राम समीधी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. हरिराम आत्मज बजरंगा जाति मीना निवासी ग्राम समीधी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. पप्पू आत्मज बजरंगा जाति मीना निवासी ग्राम समीधी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. काली पुत्री बजरंगा पत्नी रामस्वरूप जाति मीना हाल निवासी ग्राम बटावती तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
5. रामभरोसी पुत्री बजरंगा पत्नी भैरूलाल जाति मीना हाल निवासी ग्राम मण्डावरा तहसील उनियारा जिला टोंक ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री महेश योगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री महेश शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 22.07.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.06.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 से 4 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 एवं 92ए के अन्तर्गत ग्राम समीधी तहसील नैनवा जिला बून्दी की खाता संख्या 261 की कुल 06 किता की रकबा 15 बीघा 01 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी कम 5 के संयुक्त खातेदारी अधिकार व कब्जे काश्त की भूमि है । वादिया संख्या 4 व प्रतिवादी कम 5 की ओर से उक्त भूमि पर वादी कम 1 से 3 खेती करते हैं । प्रतिवादीगण कम 1 से 4 का किसी प्रकार का कोई हक, अधिकार व आधिपत्य नहीं है । प्रतिवादीगण कम 1 से 4 जबरन ताकत के बल पर वादीगण को उक्त भूमि से बेदखल करने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है ।

अतः वादीगण के पक्ष में और प्रतिवादी क्रम 1 से 4 के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि प्रतिवादीगण क्रम 1 से 4 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी से वादीगण को जबरन ताकत के बल पर बदेखल नहीं करें । फसल को नष्ट नहीं करें, वादीगण के कब्जे काश्त, उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न तो स्वयं करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावे । भूमि खसरा नम्बर 1670 एवं 1669 के किसी भीाग पर निर्माण कार्य नहीं करे । यदि दौराने वाद प्रतिवादीगण क्रम 1 से 4 उक्त भूमि पर जबरन कब्जा कर ले तो उन्हें उक्त भूमि से बेदखल कर कब्जा वापस वादीगण को दिलाया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.06.2017 के द्वारा वाद वादीगण स्वीकार करते हुए डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.06.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रतिवादी क्रम 1 से 4 ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को बिना तारीख पेशी एवं बिना जवाबदावा के निर्णित किया है जबकि उक्त वाद का निस्तारण नियमित सुनवाई के बाद ही किया जा सकता था । लोक अदालत में बिना सहमति व सूचना के उक्त वाद को रखना क्षेत्राधिकार से विपरीज जाकर किया जाना वाले कार्य है । पक्षकारों को सम्पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 12.06.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट को उक्त अपीलाधीन निर्णय की जानकारी नहीं थी । दावा पेश करने के उपरान्त तलबी हेतु दिनांक 24.10.2016 तारीख पेशी नियत थी । उक्त पेशी को प्रार्थी द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थिति दी थी दिनांक 01.12.2016 को जवाब पेश करने के लिए अवसर चाहा गया था । न्यायालय द्वारा उक्त पेशी पर प्रतिवादी क्रम 5 की इंतजार तामील में दिनांक 21.03.2017 तारीख पेशी दी गई । उक्त पेशी पर तलबी पूर्ण होने पर पत्रावली में जवाब दावा पेश करने के लिए तारीख पेशी दिनांक 08.05.2017 दी गई । उक्त पेशी पर पीठासीन अधिकारी के नहीं होने से जनरल तारीख नोटिस बोर्ड पर 03.07.2017 अंकित की गई । उक्त पेशी को जरिये अभिभाषक उपस्थित होने पर बताया कि पीठासीन अधिकारी लोक अदालत में तसरीफ रखने से आज की सभी पत्रावलियों में आगामी तिथि दिनांक 15.09.2017 नियत की गई । प्रार्थी उक्त पेशी पर न्यायालय में उपस्थित हुआ तो जानकारी प्राप्त की हुई कि लोक अदालत में दिनांक 12.06.2017 को ही पत्रावली का निर्णय पारित कर दिया गया है जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्टगण के द्वारा वाद स्थायी निषेधाज्ञा का अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया । अपीलान्ट के द्वारा जवाब के लिए समय मांगा गया । प्रतिवादी कम 5 की तामील एवं जवाबदावे हेतु तारीख नियत की गई इसके उपरान्त इसको लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में सीपीसी की पालना किये बिना निर्णय पारित करते हुए दावा वादीगण डिक्री किया है जो विधिक प्रावधानों के विपरीत है । अपीलान्ट को जवाबदेही का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.06.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत की भावना से दावा डिक्री किया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 12.06.2017 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होत हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली दिनांक 10.02.2017 की आदेशिका में प्रतिवादी कम 1 से 4 की ओर से जवाब पेश नहीं हुआ और प्रतिवादी कम 5 की तलबी हेतु दिनांक 21.03.2017 की आगामी तारीख पेशी नियत की गई । इसके उपरान्त जवाब के लिए तारीख पेशी नियत की गई और दिनांक 12.06.2017 को लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में वादीगण की उपस्थिति दर्ज की गई है । हालांकि उनके आदेशिका पर किसी के हस्ताक्षर नहीं हैं । न तो समस्त पक्षकारान उपस्थित हुए हैं और न ही कोई राजीनामा पेश हुआ है और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए दावा वादीगण डिक्री किया गया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है ।

12. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.06.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्टगण को जवाबदेही का अवसर प्रदान करते हुए दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर

प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट विवेचन करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 28.08.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 22.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

22/7/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा